यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मो. सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 23.07.2016 से 03.08.2016 के मध्य संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ए.के. श्रीवास्तव, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 11.07.2014 से 25.07.2014 तक श्री बी.डी. सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष/अधिशासी अभियन्ता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा :**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डी.पी. श्रीवास्तव	श्री मनीष सेमवाल	10.01.2014 से 06.11.2015 तक
2.	श्री मनीष सेमवाल	श्री मनीष सेमवाल	06.11.2015 से वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
45/2010–11	–	1, 2
85/2014–15	–	1

(स) सतत् अनियमितायें – शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर–स्थापना		सर्मपण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2014–14	634.34	579.89	175.08	160.01	–	–
2015–15	755.80	699.76	533.72	502.76	–	–
2015–16	974.40	856.44	675.89	673.44	–	–

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ` 2971.81 लाख की धनराशि की वसूली न किया जाना।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार के जलकर/जल परिव्यय/सीवर सीट से सम्बन्धि अभिलेखों तथा उपलब्ध करायी गयी सूचना की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 के अंत तक इकाई द्वारा इन मदों में वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	मद	बकायाा/वसूल की जाने वाली धनराशि
1	जलकर	` 44327711.87
2	जल परिव्यय	` 252726249.11
3	सीवर सीट	` 127212.00
	योग	**` 297181172.98**

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जलकर की धनराशि ` 443.27 लाख की वसूली वर्ष 2013-14 अर्थात तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए बताया कि वसूली की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः ` 2971.81 लाख की धनराशि की वसूली न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 25.32 लाख की धनराशि कर्मचारियों/फर्मों के विरूद्ध वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय के मासिक लेखा माह 3/2016 एवं विविधि अग्रिम अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2002 से वर्तमान तक अधिकारियों/कर्मचारियों/फर्मों के विरूद्ध क्रम संख्या 1 से 40 तक टी आई, पी आई, विविध अग्रिम की निम्नलिखित धनराशियों की वसूली लंबित है।

टी आई, ` में	पी आई, ` में	विविध अग्रिम, `
116603	68026	2348133
	कुल धनराशि	**2532762**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर में लंबित वसूली के संदर्भ में स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि बड़ी धनराशियां वर्ष 2002 से वर्ष 2012 तक की अवधि की है अब तक धनराशियों की वसूली पूर्ण हो जानी चाहिए थी। अतः ` 25.32 लाख की लम्बित वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : ` 39.92 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़ा रहना।

उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कुम्भ मेला एवं जिला योजना के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के रखरखाव के लिए पंजाब नैशनल बैंक, हरिद्वार खाते में खोले गये हैं। योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि पर माह मार्च 2016 के अंत तक कुल अर्जित ब्याज एवं जमा बयाज की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है–

खाता संख्या	मद	अर्जित ब्याज (03/2016 तक)	जमा की गयी धनराशि (03/2016 तक)	अवशेष ब्याज की धनराशि
125949	कुम्भ मेला	1315496	1029433	286063
108545	जिला योजना	3706210	––	3706210
	योग	**5021706**	**1029433**	**3992273**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ब्याज के रूप में अर्जित ` 49.43 लाख की धनराशि में से ` 10.29 लाख की धनराशि ही इकाई द्वारा जमा की गयी थी तथा ` 39.92 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि खातों में अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि कुम्भ मेला में प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की शेष धनराशि को जमा करा दिया जाएगा एवं जिला योजना से सम्बन्धित अर्जित ब्याज की धनराशि के संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 39.92 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : ` 1.55 लाख का कार्य बिना स्वीकृति के कराया जाना।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार की जिला योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 में सराय ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम–गाडोवाली में नलकूप निर्मण कार्य, पाईपलाईन, लीकेज मरम्मत एवं विस्तार तथा समरसिबल पंप सेट की मरम्मत आदि कार्यों के लिए ` 45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु पत्रांक सं. 105/VIII-DP-09/जल संस्थान (03)/परिवर्तन/जि.यो./2015–16 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा इस स्वीकृत कार्य एवं धनराशि के स्थान पर सीतापुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत राजलोक से सटी कालोनियों में नलकूप निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था जिसकी कुल लागत ` 41.45 लाख स्वीकृत की गई थी। अतः स्पष्ट है कि पूर्व में स्वीकृत ` 45 लाख के कार्य के स्थान पर ` 41.45 लाख के कार्य एवं धनराशि की स्वीकृति ही प्रदान की गई थी। आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा ` 41.45 लाख की धनराशि के अतिरिक्त सराय ग्राम समूह पेयजल योजना पर ` 1.55 लाख (` 0.92 सामान्य+0.63 एस.सी.पी.) की धनराशि व्यय की गई थी जबकि इस योजना में कार्य करने/धनराशि व्यय करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया की सराय पेयजल योजना पर मरम्मत कार्य कराना आवश्यक था तथा इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

अतः ` 1.55 लाख का कार्य बिना स्वीकृति कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, **उन्हें** पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र